

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत ..... गणेश रघुवरी ..... सिकराय .....  
 ..... गणेश रघुवरी ..... बनाम ..... श्री. रघुवरी .....  
 किस्म मुकदमा ..... गणेश रघुवरी ..... मु० नं० ..... 10/15 .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p>पक्षी का प्रकृत हठका कोष खाली नहीं है।                      पक्षी को कोई जबरजस्ती क्षति की छूट नहीं है।                      सुप्रीम का दायतुक्त भी पक्षीगण के पास                      से नहीं है।</p> <p>उप: पक्षी का अतीत फल गणेश                      निर्दिष्ट रकम में निपा जाता है।                      पक्षीगण के फल (उप) से कर लाने से को से                      निर्जित करे द्वारा निपात करके सुप्रीम का फल                      से खजाता गया।</p> <p style="text-align: center;">(2)                      उपस्थित अधिकारी                      सिकराय जिला-दौसा</p>	